

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2021—पौष 23, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2021

क्र. 618-24-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२०

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १३ जनवरी, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम:

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० है।

**मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन्
२००७ का अस्थायी
रूप से संशोधन
किया जाना।**

**अनुसूची का
संशोधन:**

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, कॉलम (१) से (६) में अनुक्रमांक ३८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“३९	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर।	श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर।	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे एमआर-१० के पास, सांवर रोड, इन्दौर।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४०	महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर।	श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर।	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।	महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐठाखेड़ा चरगवन रोड, पोस्ट तिलवारा, जबलपुर।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

भोपाल :

तारीख ७ जनवरी, २०२१।

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2021

क्र. 618-24-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव।

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 11 OF 2021

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWITIYA SANSHODHAN ADHYADESH, 2020**

[First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 13th January, 2021.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesha, 2020.</p> <p>2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.</p> <p>3. In Schedule to the principal Act, after serial number 38 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—</p> | <p>Short title.</p> <p>Madhya Pradesh
Act No. 17 of
2007 to be
temporarily
amended.</p> <p>Amendment of
Schedule.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. No.	Name of Private university (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (3)	Main campus (4)	Jurisdiction (5)	(6)
“39.	Sri Aurobindo University Indore.	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore.	Society Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sri Aurobindo University, Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Road, Sanwer Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.”.	
40.	Mahakaushal University Jabalpur.	Shri R. S. Educational Society, Jabalpur.	Society Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Mahakaushal University, Village- Anthakheda Chargawan Road, Post Tilwara, Jabalpur.	Whole of Madhya Pradesh.”.	

BHOPAL :

Dated, the 7th January 2021.

ANANDIBEN PATEL

*Governor,
Madhya Pradesh.*

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021—फाल्गुन 6, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2021

क्र. 3178-मप्रविस-15-विधान-2021.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी, 2021 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२१ है।

अनुसूची संशोधन.

का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) को अनुसूची में, अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“३८	एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह	ओजस्विनी समदर्शी न्यास, १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल	मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनी नगर, मागर रोड, दमोह	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३९	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर- उज्जैन स्टेट हाइवे, एमआर-१० रोड के पास, सांवेर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४०	महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर	श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐठाखेड़ा चरगाँव रोड, पोस्ट तिलवारा, जबलपुर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किये गए थे। अब उक्त अध्यादेशों के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १६ फरवरी, २०२१

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य।

अध्यादेशों के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए थे। उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२०, (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किये गये थे।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।